(5)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह।

दाखिल–खारिज वाद संख्या–01/2016–17
मो0 फैजल भारती उर्फ बबलु गांधी बनाम झारखण्ड राज्य

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक मो0 फैजल भारती उर्फ बबलु गांधी, पिता–मो0 मकबुल, साकिन–भण्डारीडीह, गिरिडीह ने अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या–3503/2015–16 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया है।

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी ने रैयती भूमि विक्रेता मो0 मकबुल अंसारी से मौजा–भण्डारीडीह, थाना–गिरिडीह, जिला–गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं0–22, प्लॉट नं0–485,486,487,488,449,491 एवं 26 कुल रकवा--1.18 एकड़ भूमि निबंधन दस्तावेज संख्या 811 दिनांक 25.01.2008 से खरीदा है, और उस पर अपीलार्थी शांति पूर्ण भौतिक दखलकार चला आ रहा है। धान की फसले भी अपीलार्थी द्वारा उगाई जा रही है और स्वयं के उपयोग में उपयुक्त में लाते है। अपीलार्थी ने पंजी–।। में अपना नाम चढ़ाने के लिए दाखिल–खारिज हेतु बिक्री दस्तावेज की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ सरकार के सैरिस्ता अंचल कार्यालय गिरिडीह में आवेदन समर्पित किया सभी औपचारिकताएं कार्यालय द्वारा की गई है। संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग किये गये थे। लेकिन विद्वान अंचल अधिकारी, गिरिडीह ने उसके नाम को Mutation के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और अंचल अधिकारी, गिरिडीह ने दिनांक 20.03.2016 को अन्तिम आदेश पारित कर आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है। जिसके विरूद्ध में अपीलार्थी ने दाखिल–खारिज अपील वाद दायर किया है।

अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा दिनांक 20.03.2016 को पारित आदेश दाखिल–खारिज के नियमों के अनुसार गलत एवं गैरकानूनी है। निम्न न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन को अनदेखी कर गैरकानूनी आदेश पारित किया है। विद्वान अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा वादगत भूमि का निरीक्षण नहीं किया

गया तथा तथ्यों की अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय यह भी विवेचना करने में असफल रहा कि बिक्रेता के परदादा जिनके नाम से पंजी–।। में आज तक जमाबन्दी कायम है तथा बिक्रेता के द्वारा अपना रैयती हिस्से का जमीन को बेचा है। हल्का कर्मचारी के द्वारा यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि वादगत भूमि जो बिक्रेता के दादा के दखल–कब्जे में है, और यह वन सीमा, सैरात, भूदान, भू–हबन्दी इत्यादि से मुक्त है तथा अन्त में उनके द्वारा दाखिल–खारिज स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की गई है। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा illegal Demand किया ओर न्याय करने में असफल रहा और आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया।

आवेदक ने दाखिल–खारिज हेतु दिनांक 08.12.2015 को आवेदन दिया तथा तीन माह से अधिक समय के उपरान्त दिनांक 20.03.2016 को वाद का निष्पादन किया जो कानूनन उचित नहीं है। अंचल निरीक्षक द्वारा हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन से सहमत हुए अनुशंसा की गई है। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी कर आदेश पारित किया है जो न्यायसंगत नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा बिक्री दस्तावेज तथा दखल–कब्जा के बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा क्षेत्र का निरीक्षण भी नहीं किया है। निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल–खारिज आवेदन को गलत मनसा से खारिज किया गया है तथा दाखिल–खारिज आवेदन को चार माह के लम्बित अवधि के पश्चात निष्पादित किया गया है, जो नियमानुसार गलत है। क्योंकि दाखिल–खारिज का निष्पादन एक माह के अन्दर किया जाना चाहिए था जो निम्न न्यायालय द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश कानूनन गलत है तथा इसे खारिज करने योग्य है।

अन्त में प्रथम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2016 को खारिज करने एवं अपीलार्थी के दाखिल–खारिज अपील को स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना की गई।

अंचल अधिकारी, गिरिडीह के दाखिल–खारिज वाद संख्या–3504/2015–16 में पारित आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि केवाला को संदेहास्पद मानते हुए नामान्तरण वाद संख्या–841/2011–12 को पूर्व में ही आवेदित भूमि का नामान्तरण अस्वीकृत करते हुए नामान्तरण वाद का निष्पादन किया गया है। पुनः आवेदित भूमि का

नामान्तरण हेतु दिये गये आवेदन को हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अस्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है। उक्त तथ्यों के आधार पर अंचल अधिकारी, गिरिडीह ने आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है।

पूर्व पारित नामान्तरण वाद संख्या–841/2011–12 में दिनांक 26.12.2011 को पारित आदेश में उदहरण का अवलोकन किया। विषयगत भूमि रैयती खाते की है। आवेदक ने उक्त भूमि केवाला संख्या–7080 दिनांक 25.01.2008 द्वारा खाता नं0–22 के अन्दर प्लॉट नं0–485, 486, 487, 488, 489, 491, 26 में कुल रकवा 1.18 एकड़ क्रय किया है। पुनः उक्त केवाला संख्या–7080 दिनांक 25.01.2008 द्वारा आवेदक ने खाता नं0–36, प्लॉट नं0–85, 86, 87, 88, 89, 91, 26 रकवा–1.18 एकड़ भूमि क्रय किये जाने के आधार पर नामान्तरण के लिए आवेदन दिया है। प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि दोनों केवाला को देखने से स्पष्ट होता है कि केवाला संदेहात्मक है।

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय के दोनों अभिलेख में राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं दोनों अभिलेख में अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा अलग–अलग पारित किये गये आदेश का अवलोकन किया। नामान्तरण वाद संख्या–841/2011–12 में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि दो अलग–अलग केवाला से भूमि क्रय किये जाने का अभिकथन किया गया है। दोनों में लिखावट में काफी भिन्नता है। एक केवाला टंकित प्रति है तो दूसरा हाथ से लिखा हुआ है। जो संदेहात्मक प्रतीत होता है। अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या–538/08–09 में पारित आदेशानुसार प्लॉट संख्या–26 को छोड़कर शेष सभी भूमि भारतीय संख्याकी संस्थान में चाहर दिवारी के अन्दर है तथा वर्तमान में उसी का कब्जा है इस संबंध में संस्था के द्वारा भू–अर्जन वाद संख्या–07/50.51 में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यह भूमि विवादित है तथा आवेदक के दखल कब्जे में भी नहीं है।

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय अभिलेखों के अवलोकन करने तथा उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि आवेदक के द्वारा पहले समर्पित आवेदन पत्र में नामान्तरण अस्वीकृत

करने की अनुशंसा राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के द्वारा किया गया था तथा उ
अनुशंसा के आलोक में अंचल अधिकारी, गिरिडीह ने भी नामान्तरण वाद को अस्वीकृत
कर दिया था तो पुनः आवेदक ने जानबूझ कर छलपूर्वक अंचल अधिकारी, गिरिडीह को
उक्त भूमि दाखिल–खारिज करने के लिए आवेदन समर्पित किया जो गलत है।

आवेदक के इस कथन पर बल नहीं मिलता है कि अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा आवेदक से दाखिल–खारिज हेतु illegal demand किया गया क्योंकि इससे संबंधित कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस न्यायालय में भी अपीलार्थी के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या– 841/2011–12 में हल्का राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध में पर्याप्त साक्ष्य /राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस बिक्री सेल डीड से भूमि क्रय की गई है। उसमें स्पष्ट यह उल्लेखित है कि भूमि पावर ऑफ एट्रोनी के आधार पर बिक्री किया जाता है। आवेदक के द्वारा न तो अंचल अधिकारी, गिरिडीह के समक्ष पावर ऑफ एट्रोनी प्रस्तुत किया गया और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त तर्क आधार पर अपीलार्थी के अपील को खारिज किया जाता है।

लेखापित संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।